राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भवानीसिंह / सुल्तानसिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 553/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/1/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील ख़ारिज करवाने का मय अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद सख्या 147/2020 एवं टी. आई प्रार्थना पत्र संख्या 111/2020 की आदेशिकाओ की प्रमाणित प्रति के साथ पेश किया जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलवाई गयी। अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद एवं मूल प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने से ख़ारिज किया जा चूका है जिससे यह 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील अब संधारणीय नही रहती है। अत: अपील अपीलार्थी संधारणीय नही रहने से ख़ारिज की जावे। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा स्वीकृति जाहिर की गयी। अत. इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र एवं वाद का अन्तिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर दिया गया है जिससे यह अपील इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से संधारणीय नही रह जाती है। अत: अपील अपीलार्थी संधारणीय नही रहने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.)